न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 98/2014 | तारीख रजू 30.07.2014 | तारीख निर्णय 22.5.2021

विनोद पुत्र भवानी शंकर, ब्राहमण निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
—वादी

बनाम

1. भूरसिंह पुत्र रामजीलाल, गुर्जर नि. बाढकलॉ तह. गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. ओमप्रकाश पुत्र भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
1/2. देशराज पुत्र भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
1/3. गणपत पुत्री भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
2. रूमाली पत्नि भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
3. हंसो पत्नि रामस्वरूप, गुर्जर निवासी ब्रहमवाद तहसील गंगापुर सिटी
—प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री रविशंकर शर्मा, एड. प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0नं0 70 रकवा 78 ऐयर स्थित ग्राम बाढकलाँ तह० गंगापुर सिटी है जिसकी खातेदारी वादी के नाम है। वादी ही उक्त आराजी को बहैसियत खातेदार काबिज रहकर कास्त करता चला आ रहा है। एवं लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के बावत् एक दावा बावत् तकमील मुआयदा उनवानी विनोद कुमार बनाम भूरसिंह प्र०सं० 28/03 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहाँ दिनांक 07/03/2009 को वादी विनोद कुमार के पक्ष में डिक्री किया गया। जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा वादी के पक्ष में उपपंजीयक गंगापुर सिटी के यहाँ पंजीयन कराई। उक्त विक्रय पत्र की पालना में जरिए नामांतकरण सं0 241 दिनांक 05/07/2012 को उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज की गई। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अन्तिम है। उक्त डिक्री के विरूद्ध कोई अपील या स्थगन नहीं है। वादी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण गिरोहबन्द झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिनका गाँव में आस—पास आतंक है। न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् ही प्रतिवादीगण जबरन वादी को परेशान करते हैं। वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमि में फसल बाजरा काश्त कर दिया है। प्रतिवादीगण लट्ठ की ताकत से वादी को जबरन भूमि से बेदखल कर देना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण येन केन प्रकार से वादी को परेशान करते हैं। दिनांक 20/07/2014 को वादी अपने खेतों पर अचानक प्रतिवादीगण लाठी डंडे लेकर आ गए तथा ऐलानिया धमकी दी की आयन्दा खेतों पर मत आना

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बाजरा तो हम काटेगें। प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से वादी को यह दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर का पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 70 रकवा 78 ऐयर स्थित ग्राम बाढकलाँ तह० गंगापुर सिटी के वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग फसल जोतेन, बोने व काटने में किसी प्रकार की बाधा या मानेमजामहत न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि वादपत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है । खसरा नम्बर 70 रकवा 78 ऐयर स्थित ग्राम बाढकला तहसील गंगापुरसिटी प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी की पैतृक भूमि रही है प्रतिवादी नम्बर 1 ही उक्त आराजी को वहसियत खातेदार काबिज रहकर बचपन से काश्त करता चला आ रहा है। एक दावा उनवानी विनोद बनाम भूरसिंह वादी ने कूटरचित फर्जी दस्तावेजो के आधार पर डिक्री करवाया था। मिन जबावदार ने वादी को कोई रजिस्ट्री नहीं करवायी है। वादी इस मद में वास्तविक तथ्यो को छुपाकर आया है। वास्तविकता में उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुरसिटी के यहाँ मुकदमा नम्बर 6/2003 उनवानी हंसो बनाम भूरसिंह वगैरा पूर्व से ही विचाराधीन है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24–4–2007 को उक्त विवादित भूमि के नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 16–6–1989 ग्राम पंचायत बाढकला निरस्त किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया था तथा नियमानुसार उचित सुनवाई के पश्चात वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 तथा प्रतिवादी नम्बर 3 हंसो की पैतृक भूमि होने के कारण जायज वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिसमे वादी विनोद कुमार द्वारा पक्षकार बनने हेतू अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर से पक्षकार बनने के आदेश प्राप्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में वास्ते तलबी आगामी तारीख पेशी दिनांक 25/11/14 नियत है। चूंकि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात के नामान्तरकरण के सन्दर्भ में जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये जाने अभी शेष है और जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात का अंतिम रूप से फैसला नहीं कर दिया जाता है तब तक उक्त भूमि पर उक्त प्रकरण संस्थित किये जाने की स्थिति के अनुसार खातेदार भूरसिंह एक मात्र कब्जे काश्त है। इसीलिये मिन जबावदार को किसी भी कार्यवाही द्वारा पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस बिना पर वादी का दावा खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा दौराने अपील एवं बावजूद आदेश दिनांक 24–4–2007 विक्रय–पत्र व

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 5–7–2012 स्वतः ही अन्य व प्रभावहीन है। प्रभावहीन एवं शून्य विक्रय–पत्र के आधार पर किया गया इन्द्राज रिकार्ड में स्वतः ही निरस्त व शून्य है। जिसकी दुरुस्ती हेतू मिन जबावदार काउन्टर क्लेम करता है। आराजी खसरा नम्बर 70 रकवा 78 ऐयर मौजा ग्राम बादकला के किसी भी हिस्से पर वादी का न तो पूर्व में कोई कब्जा था और ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। महज जबावदारान को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर साज कर विक्रय–पत्र रजिस्टर्ड करवाया गया है जो कि अपने आप मे शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः जबाबदावा मय काउण्टर क्लैम विरूद्ध वादीगण प्रस्तुत कर संवेदन है कि वादी का दावा आधारहीन एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण खारिज किया जावे तथा मिन जबावदार का काउण्टर क्लेम इस अमर के साथ स्वीकार किया जावे कि वादी के हक के किया गया विक्रय–पत्र बावत आराजी ख0 नम्बर 70 रकवा 78 ऐयर मौजा ग्राम बाढकला तहसील गंगापुरसिटी न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट गंगापुरसिटी के आदेश दिनांक 27–4–2007 से प्रभावित व दौराने अपील किया गया है जो कि भूमि हस्तान्तरण अधिनियमो के विपरीत होने के कारण शून्य एवं प्रभावहीन है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किया गया इन्द्राज को निरस्त किये जाने के आदेश किए जाकर दुरुस्ती की जावे। वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात के मिनजबाबदार के उपयोग उपभोग में न तो स्वय बाधा उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावे ।

प्रतिवादिया संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब वादी की ओर से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादी जवाबदार विनोद द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कोई डिक्री वादी द्वारा कराई हो। प्रतिवादी का यह कथन सही है कि उसके द्वारा न्यायालय की डिक्री पारित किए जाने के पश्चात् प्रावधान अनुसार न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा डिक्री की पालना में प्रतिवादी भूरसिंह की ओर से वादी विनोद कुमार के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन कराया था। प्रतिवादी भूरसिंह द्वारा यह कथन झूठा अंकित किया है कि वादी विनोद द्वारा किसी प्रकार के तथ्य छुपाएँ हों। प्रतिवादीगण भूरसिंह व हंसो द्वारा वादी विनोद को नुकसान पहुँचाने की गरज से आपस में दोनो ने साज कर झूठी कार्यवाही की थी। जिसे निरस्त किया जा चुका है। प्रतिवादी भरसिंह का यह कथन कतई गलत है कि उक्त आराजीयात् ख0नं0 70 रकवा 78 ऐयर स्थित ग्राम बाढ कला पर उसका कब्जा, काश्त हो बल्कि न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी के अनुसार वादी विनोद के पक्ष में कब्जा मानकर विक्रयपत्र पंजीबद्ध कराया था। जवाब व काउन्टर क्लेम के मद नं0 3 में प्रतिवादीगण का यह कथन कतई गलत है कि न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा कोई गुमराह होकर अंतिम डिक्री एक पक्षीय जारी की हो बल्कि सही तथ्य यह है कि वादी विनोद व प्रतिवादी भूरसिंह के मध्य पूर्णतया सुनवाई कर प्रतिवादी भूरसिंह की उपस्थिति में निर्णय दिनांक 07/03/2009 को पारित किया था।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रतिवादी द्वारा सारे तथ्य गलत अंकित किए हैं। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से प्रतिवादी पाबन्द है। प्रतिवादी का यह कथन कतई गलत है कि उक्त आराजी पर जवाबदार वादी विनोद का कब्जा न हो। प्रतिवादी भूरसिंह का अपने जवाब व काउन्टर क्लेम में यह तथ्य लिखना कि "साजकर विक्रयपत्र रजिस्टर्ड करवाया है"। एक प्रकार से न्यायालय अपर जिला जजी की डिक्री की अवमानना है। प्रतिवादी का यह कथन कतई गलत है कि प्रतिवादी द्वारा गेहूँ की फसल काश्त की हो बल्कि वादी विनोद द्वारा फसल गेहूँ काश्त की है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम के मद नं0 4 में वर्णित यह कथन कतई गलत है कि वादी विनोद का उक्त भूमि पर कब्जा, कास्त न रहा हो। बल्कि जवाबदार वादी विनोद सन् 2000 से लगातार काबिज है। प्रतिवादी का यह कथन कतई गलत है कि जवाबदार के पक्ष में न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा शून्य या प्रभावहीन रजिस्ट्री कराई हो। जवाबदार वादी विनोद का कब्जा कास्त सन् 2000 से लगातार है। यह माननीय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा पारित अपने निर्णय में होना स्वीकार किया है तथा निर्णय पारित किया है। वादी द्वारा काउन्टर क्लेम के जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रतिवादी भूरसिंह भूमि का न तो खातेदार है और न ही काश्तकार है। बिना खातेदार व काश्तकार के प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी दावा सं0 20/2003 निर्णय दिनांक 07/03/2009 की पालना में न्यायालय की ओर से वादी विनोद के पक्ष में कराए गए विक्रयपत्र पंजीयन को शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। माननीय न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी सिविल न्यायालय है तथा किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को राजस्व न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है न ही सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है बल्कि राजस्व न्यायालय की डिक्री को सिविल न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। इस भाँति प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बार्ड बाई ला है। आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधान अनुसार उक्त काउन्टर क्लेम निरस्त किए जाने योग्य है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया जाता तब तक किसी भी न्यायालय द्वारा वर्तमान इन्द्राजात् निरस्त नहीं किए जा सकते। क्योंकि विक्रयपत्र न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी की ओर से वादी विनोद के पक्ष में पंजीबद्ध कराया है। ऐसे विक्रयपत्र को निरस्त करने का या उसको नजरअंदाज कर खातेदारी इन्द्राजात में दुरूस्ती करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। जब एक सक्षम न्यायालय से निर्णय अंतिम रूप से पारित हो चुका हो तो उसके विपरीत किसी प्रकार की आज्ञा पारित किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत होगा। सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण राजस्व न्यायालय से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निरस्त कराना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अधिकार नहीं है। इस भाँति प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सी०पी०सी० के प्रावधान अनुसार पेश नहीं किया गया। काउन्टर क्लेम दो प्रतियों में तथा शपथपत्र के साथ पेश नहीं किया गया है। आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के अनुसार काउन्टर क्लेम खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई न्याय शुल्क भी पेश नहीं किया गया है। बिना न्याय शुल्क पेश किए आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधान अनुसार काउन्टर क्लेम खारिज योग्य है। अतः काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी सं० 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया भूमि ख0नं0 70 रकबा 78 एयर ग्राम ग्राम बाढकलां वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । ——वादी
2. आया दिनांक 20.7.2014 को प्रतिवादीगण लाठी डंडे लेकर वादी के खेत पर आ गए तथा वादी को धमकी दी कि वे फसल काटेंगे फलस्वरूप वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।——वादी
3. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है जिसे वादी ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार से अपने नाम डिक्री करवा ली है। –प्रतिवादीगण
4. आया वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में मुकदमा हंसो बनाम भूरसिंह वगैरा पूर्व से ही विचाराधीन है यह मुकदमा विचाराधीन होने के बाबजूद वादी ने एकतरफा में अपने नाम आदेश दिनांक 24.4.2007 से विक्रयपत्र एवं नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 5.7.2012 करवा लिया है जो स्वतः ही शून्य व प्रभावहीन है। ——प्रतिवादीगण
5. आया इस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त भूमि का वादी के पक्ष में हस्तान्तरण हुआ है जो भूमि हस्तान्तरण अधिनियम के विपरीत होने के कारण शून्य एवं प्रभावहीन है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के व वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। ——प्रतिवादीगण
6. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल डिक्री दिनांक 7.3.09 न्यायालय एडीजे गंगापुर सिटी मुकदमा उनवानी विनोद कुमार बनाम भूरसिंह प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 2, नकल विक्रय विलेख दिनांक 1.5.12 प्रदर्श 3, नकल आदेशिका दिनांक 21.9.16 मुकदमा उनवानी हंसो बनाम भूरसिंह न्यायालय एसडीओ गंगापुर सिटी प्रदर्श 4 एवं बयान वादी विनोद पीडब्ल्यू 1 कराये है।

प्रतिवादीगण ने जबाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे बयान

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रतिवादी भूरसिंह डीडब्ल्यू 1, बयान प्रतिवादी रूमाली डीडब्ल्यू 2 कराये गये है। बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो न्यायालय एडीजे गंगापुर सिटी के आदेशानुसार वादी की खातेदारी मे दर्ज हुई है। इस भूमि के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण वादी को बाधा उत्पन्न करते है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा नही रहा है एवं वादी ने न्यायालय से जो डिक्री करायी है वह कृषि भूमि के संदर्भ मे नियमो के अनुसार नही है। इसलिए वादी का दावा खारिज कर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। नकल डिक्री दिनांक 7.3.2009 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी उनवानी विनोद कुमार बनाम भूरसिंह प्रदर्श 1 के अनुसार भूमि ख0न0 70 रकबा 0.78 है0 ग्राम बाढकलॉ की प्रतिवादी भूरसिंह द्वारा वादी विनोद कुमार के पक्ष मे रजिस्ट्री नही कराने पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी द्वारा रजिस्ट्री प्रदर्श 3 के अनुसार वादी के पक्ष मे कराये गई है। जिसका अंकन नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 2 मे दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है परन्तु इसके प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इसलिए जब भूमि वादी की खातेदारी मे दर्ज है तो भूमि पर कब्जा भी वादी का ही माना जावेगा। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 70 रकबा 0.78 है0 ग्राम बाढकलॉ के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त मे वादी को बाधा उत्पन्न नही करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

विनोद पुत्र भवानी शंकर, ब्राहमण निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
—–वादी

बनाम

1. भूरसिंह पुत्र रामजीलाल, गुर्जर नि. बाढकलॉ तह. गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. ओमप्रकाश पुत्र भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
1/2. देशराज पुत्र भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
1/3. गणपत पुत्री भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
2. रूमाली पत्नि भूरसिंह, गुर्जर निवासी बाढकलॉ तहसील गंगापुर सिटी
3. हंसो पत्नि रामस्वरूप, गुर्जर निवासी ब्रहमवाद तहसील गंगापुर सिटी
—–प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –98/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रविशंकर शर्मा, एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 70 रकबा 0.78 है0 ग्राम बाढकलॉ के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त मे वादी को बाधा उत्पन्न नही करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.5.26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0)